



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन  
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION  
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)  
(MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA)  
क्षेत्रीय कार्यालय, एस.सी.ओ. 4-7, सैक्टर-17डी, चण्डीगढ़-160017  
REGIONAL OFFICE, S.C.O. 4-7, SECTOR-17-D, CHANDIGARH-160017  
www.epfindia.gov.in , www.epfindia.nic.in  
दूरभाष/ Telephone : 271190 , 2701158, 2701135 फैक्स/Fax : 2710453

फाइल संख्या : 93(1)/प्रशासन-V/

दिनांक :10.04.2017

### निविदा आमंत्रण हेतु सूचना

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़ में दिनांक 02.05.2017 से 30.04.2018 अवधि हेतु 55 एयर कंडीशनर्स (परिशिष्ट-I में दिए गए ब्यौरे के अनुसार) की वार्षिक रखरखाव संविदा (ए.एम.सी.) हेतु प्रतिष्ठित एजेन्सियों से सीलबंद कोटेशंस आमंत्रित की जाती हैं। एयर कंडीशनर्स का विवरण निम्नलिखित है :

| मॉडल    | संख्या | एयर कंडीशनर का प्रकार            | प्रत्येक की क्षमता (टन में) |
|---------|--------|----------------------------------|-----------------------------|
| Hitachi | 40     | 38 स्प्लीट व 2 विंडो एयर कंडीशनर | 2                           |
| Lyyod   | 1      | 1 स्प्लीट एयर कंडीशनर            | 2                           |
| Usha    | 1      | 1 विंडो एयर कंडीशनर              | 1.5                         |
| LG      | 5      | 5 स्प्लीट एयर कंडीशनर            | 2                           |
| Samsung | 7      | 7 स्प्लीट एयर कंडीशनर            | 2                           |
| Voltas  | 1      | 1 विंडो एयर कंडीशनर              | 1.5                         |

नियम व शर्तें निम्न प्रकार से हैं :-

1. एजेन्सी को दो प्रकार की सर्विस अर्थात निवारक रखरखाव तथा टूट-फूट सर्विस, प्रदान करनी होगी।
2. निवारक रखरखाव : एजेन्सी को प्रत्येक 3 महीने में एक बार मशीनों की सर्विस करनी होगी। इस संबंध में, एजेन्सी द्वारा एयर कंडीशनर्स की अवस्थिति के प्रभारी द्वारा विधिवत अस्वीकार किए गए रिकॉर्ड का रखरखाव करना होगा।
3. टूट-फूट सर्विस : एजेन्सी को कार्यालय से टूट-फूट संबंधी सूचना/फोन आने पर 12 घण्टों के भीतर उसको देखना होगा। ऐसा न करने पर, कार्यालय द्वारा 500/- रुपये प्रतिदिन की क्षतिपूर्ति आरोपित की जाएगी। एजेन्सी द्वारा की गई मुरम्मत/सर्विस का रिकॉर्ड एयर कंडीशनर्स की अवस्थिति के प्रभारी को प्रस्तुत करना होगा।

4. एजेन्सी ट्राइसिटी में कार्यरत होनी चाहिए तथा एजेन्सी के पास विधिमान्य सर्विस टैक्स पंजीकरण नंबर/पी.ए.एन./टिन या अन्य सांविधिक अपेक्षाएं हों । एजेन्सी को सरकारी/अर्ध सरकारी संगठन में इसी प्रकार के कार्य का तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए तथा एजेन्सी द्वारा पिछले तीन वर्षों की आयकर रिटर्न भरी हुई होना चाहिए व वर्तमान में एजेन्सी के ग्राहकों की सूची होनी चाहिए ।
5. एजेन्सी द्वारा सीधे तौर पर सर्विस प्रदान की जाएगी व आगे उप-संविदा नहीं दी जाएगी ।
6. कार्यालय द्वारा लागू कर जैसेकि टी.डी.एस. की कटौती की जाएगी ।
7. एजेन्सी को गैर-व्यापक संविदा हेतु भावदर देनी होगी तथा सामग्री इस कार्यालय द्वारा प्रदान की जाएगी या आवश्यकता के अनुसार सामग्री की कीमत का भुगतान अलग से किया जाएगा।
8. एजेन्सी को संविदा के अंत में/संविदा समाप्ति पर एयर कंडीशनर यूनिट्स को चालू हालत में सौंपना होगा, ऐसा न करने पर एजेन्सी को अंतिम तिमाही हेतु किए जाने वाले भुगतान में से उक्त राशि की कटौती कर ली जाएगी ।
9. प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर एजेन्सी द्वारा संतोषजनक सर्विस प्रदान करने पर भुगतान किया जाएगा ।
10. एजेन्सी किसी भी कार्यदिवस पर प्रातः 9:00 बजे से 5:00 बजे के बीच एयर कंडीशनर यूनिट्स का निरीक्षण कर सकती है ।
11. संविदा दिए जाने की तिथि से एक वर्ष की अवधि हेतु संविदा की जाएगी ।

उपरोक्त अवधि को वार्षिक आधार पर आगे दो वर्षों हेतु बढ़ाया जा सकता है । इच्छुक एजेन्सियां किसी भी कार्यदिवस पर भवन का निरीक्षण कर सकती हैं । आवेदन सील्डबंद कवर में उस पर बड़े अक्षरों में "एयर कंडीशनर के रखरखाव हेतु निविदा" लिखकर दिनांक 01.05.2017 को प्रातः 11:00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी को पहुँच जाने चाहिए । चण्डीगढ़ या नजदीकी क्षेत्र में कार्यरत कार्यालयों वाली एजेन्सियों को प्राथमिकता दी जाएगी । उक्त प्रस्ताव, बोलीकर्ता के प्रतिनिधियों, यदि उपस्थित होंगे, की उपस्थिति में दिनांक 01.05.2017 को अपराह्न 3:00 बजे समित कक्ष, क.भ.नि.सं. भवन, एस.सी.ओ. 4-7, सैक्टर 17-डी, चण्डीगढ़ में खोले जाएंगे । सक्षम प्राधिकारी को बिना कोई कारण बताये किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार होगा ।

हस्ता./-  
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (प्रशासन)



**कर्मचारी भविष्य निधि संगठन**  
EMPLOYEE'S PROVIDENT FUND ORGANISATION  
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)  
(MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA)  
क्षेत्रीय कार्यालय, एस.सी.ओ. 4.7, सैक्टर-17डी, चण्डीगढ़- 160017  
REGIONAL OFFICE, S.C.O. 4-7, SECTOR-17-D, CHANDIGARH-160017  
www.epfindia.gov.in , www.epfindia.nic.in  
फैक्स/ Fax : 2710453 दूरभाष/Telephone : 2701190, 2701158, 2701355

File No. 93(1)/Admn-V/

Date:10.04.2017

**Notice Inviting Tenders**

Sealed quotations are invited from the reputed agencies for Annual Maintenance Contract of the 55 Nos Air Conditioners of Employees Provident Fund Organization, Regional Office, Chandigarh for the period 02.05.2017 to 30.04.2018. The detail of Air Conditioners is as under:-

| Model   | Quantity | Type of ACs                  | Capacity of each (in Tons) |
|---------|----------|------------------------------|----------------------------|
| Hitachi | 40       | 38 Split A/C & 02 Window A/C | 2                          |
| Lyyod   | 1        | 01 Split A/C                 | 2                          |
| Usha    | 1        | 01 Window A/C                | 1.5                        |
| LG      | 5        | 05 Split A/C                 | 2                          |
| Samsung | 7        | 07 Split A/C                 | 2                          |
| Voltas  | 1        | 01 Window A/c                | 1.5                        |

The terms and conditions are as under:

- 1) The agency will have to provide two types of services i.e. Preventive Maintenance and Break down service.
- 2) PREVENTIVE MAINTENANCE: The agency will have to carry out service of the machine once in every 03 months. A record in this regard duly acknowledged by the person in charge of the locations of the air conditioners shall be maintained by the agency.
- 3) BREAK DOWN SERVICE: The agency will have to attend the breakdown call from the office within 12 hours, failing which a penalty of Rs.500/- per day shall be levied by the office. A record of the service/repairs shall be submitted to the person in charge of the location of the air conditioners.
- 4) The agency should be based at Tricity and the agency shall hold the valid Service Tax Registration No./PAN/Tin or any other statutory requirement. The agency should have three years' experience of the similar type of work in Government/Semi Government Organisation and should submit the Income Tax return for last three financial years and list of clients with him at present.
- 5) The agency shall provide direct service and shall not employ sub contract.
- 6) The applicable taxes such as TDS will be deducted at source by the office.
- 7) The agency shall have to quote the rates for non-comprehensive contract and material will be provided by this office or cost of material will be paid separately as per requirements.
- 8) The agency shall have to hand over the Air Conditioner units in working condition at the end/termination of the contract, failing which the same shall be recovered from the payment due for the last quarter.
- 9) The payment will be made on satisfactory service by the agency at the end of each quarter.
- 10) The agency can inspect the air conditioner units on any working day between 09.00 am to 05.00 pm.

Contd...2

(2)

11) The contract will be for a period of one year from the date of awarding the contract.

The above period may be extended for further two years on annual basis. The interested agencies may inspect buildings on any working day. The applications must reach in sealed cover to the undersigned latest by 01.05.2017 by 11:00 AM super scribing "Tenders for Annual Maintenance of Air Conditioner". Preference will be given to the such agency having its office functioning at Chandigarh or nearby area. The above proposals will be opened on 01.05.2017 at 03:00 PM at Conference Hall, EPFO Building, SCO-4-7, Sector-17-D, Chandigarh in the presence of representatives of tenders, if any present. The Competent Authority reserves the right to accept or reject any proposal without assigning any reason.

Sd/-

**Regional P.F. Commissioner(Admn)**